

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—अधिसूचना:—

संचिका संख्या :—06 / अ०—०३—१७ / २०१८

पटना, दिनांक—

श्रीमती विमला कुमारी, राज्य-कर विशेष आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम—२२७, २३० एवं २४८ के तहत दिनांक—०५.११.२०२४ से १०.१२.२०२४ तक कुल ३६ (छत्तीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्रीमती कुमारी के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (३००—३६=२६४) (दो सौ चौंसठ) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह० / —

(ज्योति प्रकाश)
सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—०६ / अ०—०३—१७ / २०१८ १८४ पटना, दिनांक— १४।०१।२०२५

प्रतिलिपि:—प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त—सह—नोडल पदाधिकारी, एच०आर००एस०, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती विमला कुमारी, राज्य-कर विशेष आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।